(178)

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

निग० – 1991 – II – 16

सुजान पुत्र श्री भग्गा आदिवासी (शहर)
निवासी – ग्राम भोडन, तहसील खनियाधाना
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

—— अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2010–11 /अ–21 (1) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 249 रकवा 0.85, सर्वे क्रमांक 456 रकवा सर्वे क्रमांक 3.16, सर्वे क्रमांक 457 रकवा 0.86, सर्वे क्रमांक 458 रकवा 0.63, सर्वे क्रमांक 460 रकवा 0.20, सर्वे क्रमांक 461 रकवा 1.39 कुल नम्बर 6 कुल रकवा 7.09 है0 क्रय किया हुआ हिस्सा 1/12 अर्थात 0.59 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम भोडन, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी में स्थित है एवं सर्वे क्रमांक 520 रकवा 0.60 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर क्रयशुदा भूमि ग्राम जालमपुर, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी स्थित है। उक्त भूमि आवेदक ने जर्ये विक्रयपत्र दिनांक 31.08.2010 को ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1991/दो/2016 जिला–शिवपुरी

तथा	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.6.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 01/2010-11 /अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम भोडन में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 249, 456, 457, 458, 460, 461 कुल रकवा 7.09 हैक्टेयर में से क्रय किया गया हिस्सा 1/12 अर्थात 0.59 है0 भूमि का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है एवं ग्राम जालमपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 520 रकवा 0.60 है0 भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उपरोक्त भूमियों से से ग्राम भोडन, तहसील खनियाधाना की भूमि में से रकवा 0.59 हैक्टेयर एवं ग्राम जालमपुर में स्थित भूमि में से 0.40 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।	

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम भोडन की भूमि में से रकवा 0.59 है0 एवं ग्राम जालमपुर की भूमि में से रकवा 0.40 हैक्टेयर भूमिविक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि आवेदक की शेष बची भूमि में सुधार कर तथा उसे कृषि योग्य बनाने हेतु धन की आवश्यकता है, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है, और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं

अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से ग्राम भोडन में स्थिति में से 0.59 है0 एवं ग्राम जालमपुर की भूमि में से 0.40 है0 भूमि विक्रय करना चाहता है। आवेदक के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् करीब 20 बीघा भूमि शेष बचेगी। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होंगें एवं बची हुयी भूमि को कृषि योग्य बना सकेगा। बल्कि उनके जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदक की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है, वह विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 अपास्त किया जाकर आवेदक को ग्राम भोडन में स्थितभूमि सर्वे क्रमांक 249, 456, 457, 458, 460, 461 कुल रकवा 7.09 हैक्टेयर में से 0.59 है0 ग्राम जालमपुर तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 520 रकवा 0.40 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य